

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1201]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 14, 2016/वैशाख 24, 1938

No. 1201]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 14, 2016/VAISAKHA 24, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क (दिल्ली क्षेत्र) का कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2016

सं. 1/2016-सीमा/शुल्क/सी.सी.सी.यू. दिल्ली

हरियाणा के जनपद पलवल की तहसील होडल को भांडागार स्टेशन के रूप में घोषणा

का.आ. 1776(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 152 उपधारा (क) के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं 33/94-सी. शु. (एन टी) दिनांक 1 जुलाई 1994, के द्वारा मुख्य आयुक्त सीमा-शुल्क को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एदतद्वारा हरियाणा के जनपद पलवल की तहसील होडल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 9 के अंतर्गत भांडागार स्टेशन के रूप में घोषित करता हूँ।

[फा. सी. सं. सी.सी.सी.यू. (दि.क्षे.) सी.शु./तक./23/2015]

कमल ज्योति, मुख्य आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE**(DEPARTMENT OF REVENUE)****(OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS (DZ))****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10 March, 2016

No. 1/2016-Customs/CCCU/Delhi Declaration of Tehsil Hodal in Palwal District of Haryana as Warehousing Station

S.O. 1776(E).—In exercise of powers delegated to the Chief Commissioner of Customs vide Notification No. 33/94-Cus (N.T.) dated 1st July, 1994 issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under the clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, I hereby declare Tehsil Hodal in Palwal District of Haryana to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962.

[F. C. No. : CCCU (DZ)/Cus/Tech./23/2015]

KAMAL JYOTI, Chief Commissioner